

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/302

मुकदमा नम्बर 119/2024

दर्ज दिनांक- 09.07.2024

1. भगवानाराम जोगी पुत्र श्री प्रभात जाति जोगी निवासी भगवानपुरा, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू  
-आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

वकील आवेदक :- श्री सज्जन कुमार चाहर

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 10.10.2024


प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में जमीन खाता सं. नया 120 पुराना 227 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1346 रकबा 7.53 है, खसरा नं. 1730/877 रकबा 0.33 है, खसरा नं. 1739/1324 रकबा 0.25 है, खसरा नं. 1841/1566 रकबा 0.15 है, खसरा नं. 876 रकबा 0.47 है कुल किता 5 कुल रकबा 8.73 है भूमि में प्रार्थी का नाम भगवाना पुत्र प्रभात की जगह भगवानाराम जोगी पुत्र प्रभात दर्ज किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भूअ./24/2936 दिनांक 16/08/2024 पेश कि गई जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त किया जाना उचित बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इतिहास रखते हुये आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में जमीन खाता सं. नया 120 पुराना 227 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1346 रकबा 7.53 है, खसरा नं. 1730/877 रकबा 0.33 है, खसरा नं. 1739/1324 रकबा 0.25 है, खसरा नं. 1841/1566 रकबा 0.15 है, खसरा नं. 876 रकबा 0.47 है कुल किता 5 कुल रकबा 8.73 है भूमि में प्रार्थी का नाम भगवाना पुत्र प्रभात की जगह भगवानाराम जोगी पुत्र प्रभात दर्ज व दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय सिंह)RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू